युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। खरसिया थाना क्षेत्र में रहने वाली 20 वर्षीय युवती बी.ए. प्रथम वर्ष की पढाई करने के साथ -साथ प्रायवेट कम्पनी में डिस्ट्रीब्युटर का काम करती है। ग्राम सरवानी में रहने वाला लक्ष्मी चरण साहू जो ग्राम बरगढ करीनारा उप स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ है युवती को प्रायवेट कम्पनी में जॉब दिलाने के नाम पर जोडा था तथा कम्पनी में जोडने का खर्च वहन किया था। लक्ष्मीचरण साहू अपने खर्च किये रूपयों को युवती से मांगा तो युवती अभी पैसा नहीं है बोली तो लक्ष्मीचरण साहू और उसका साथी यशवंती सारथी ने समझौता करने के लिए लक्ष्मीचरण साहू संबध बनाने को बोले और दिनांक 21.02.19 को लक्ष्मीचरण साहू ने युवती का बलात संभोग किया और इसका विडियो, फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर लगतार शारीरिक संबंध बनाया। युवती के रिपोर्ट पर आरोपी लक्ष्मी चरण साहू पिता जगनलाल साहू उम्र 38 वर्ष निवासी सरवानी के विरूद्ध अप.क्र. 290/19 धारा 376 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरम्यान आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

युवती से छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया में 19 वर्षीय युवती छेडखानी की रिपोर्ट दर्ज करायी है। युवती बतायी कि दिसम्बर 2018 में केवा मार्केटिंग कम्पनी में जुडी थी। इसी कम्पनी में देवमाणि भारद्वाज पिता रोहन लाल भारद्वाज उम्र 31 वर्ष भी जुडा था। दिनांक 17.06.19 को देवमाणि, युवती को लेकर खरसिया मार्केटिंग कम्पनी के मीटिंग में आया था और शाम करीब 04:00 बजे उसे अपने बाईक में पीछे बिठाकर घर छोडने जा रहा था कि रास्ते में ग्राम औरदा के पहले सुनसान जगह में देवमाणि बाइक खडा कर युवती से छेडखानी करने लगा तो युवती उससे छुडाकर भागी और अपने भाई को बुलाकर उसके साथ घर आयी। देवमणि भारद्वाज युवती को धमकी दिया कि घटना को किसी को न बताये जिससे डर से वह किसी को नहीं बतायी थी। कुछ दिनों बाद अपनी मां को छेडखानी की बात बताई घर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। जिस पर देवमणि भारद्वाज के विरूद्ध अप.क्र. 292/19 धारा 354,506,323 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी देवमणि भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया है।

स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सीएसपी ने ली स्कूल प्रबंधक व बस संचालकों की बैठक

बैठक में स्कूल बस की सुरक्षा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने की दिये निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन पर आज दिनांक 02.07.19 को नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा शहर के स्कूल प्रबंधक व स्कूल बस के संचालकों की बैठक कन्ट्रोल रूम में लिया गया। बैठक में अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा स्कूल प्रबंधक व बस संचालकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पालन करने का निर्देश दिये है। इसके पूर्व यातायात उप पुलिस अधीक्षक आर.के. मिंज द्वारा शहर के सभी प्रमुख स्कूलों में चलने वाली स्कूल बस के फिटनेश की जांच किया गया था। सीएसपी ठाकुर द्वारा इस गाईडलाईन का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

- स्कूल बस सुरक्षा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन -

1- बस के पीछे और सामने स्कूल बस लिखा जाना चाहिए।

2- अगर यह एक किराए की बस है तो स्कूल ड्यूटी पर स्पष्ट रूप से संकेत दिया जाना चाहिए।

3- बस में अनिवार्य रूप से फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए।

4- बस की खिड़कियां क्षैतिज ग्रिल के साथ फीट की जानी चाहिए।

5- बस में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए।

6- बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा जाना चाहिए।

7- स्कूल बैग सुरक्षित रखने के लिए सीटों के नीचे एक जगह फीट होनी चाहिए।

8- बस में स्कूल से एक अटेंडेंट होना चाहिए तथा बस में स्पीड गवर्नेंस होना चाहिए तथा 40 द्मद्व तक की गति सीमा के साथ फिट होनी चाहिए।

9- चालक को भारी वाहन चलाने का अनुभव कम से कम 05 वर्ष का होना चाहिए। अनिवार्य रूप से हल्के नीले रंग की शर्ट, हल्के नीले रंग की पैंट, काले जूते पहनने चाहिए उसका नाम शर्ट के साथ दिखना चाहिए।

10- एक चालक जिसने 01 वर्ष में लाल बत्ती जम्प अनाधिकृत व्यक्ति को ड्राइव करने के लिए अनुमति देने के लिए दो बार से अधिक बार शिकायत हो हो उसे नियोजित नहीं किया जा सकता।

11- एक चालक को एक बार भी तेज गति से नशे में वाहन चलना, खतरनाक ड्राइविंग के संबंध में अपराध दर्ज किया गया हो तो उसे नियोजित नहीं किया जा सकता।

12- बस चालक को स्कुल टैक्सी में लये जा रहे बच्चों की पूरी एक सूची लेनी होगी जिसमें नाम, कक्षा, आवासीय पता, रक्त समूह और स्टॉपेज मार्ग योजना आदि को इंगित किया जाएगा।

13- यदि विद्यालय के बच्चों की आयु 12 वर्ष से कम हो तो बच्चों की संख्या अनुमोदित बैठने की क्षमता के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी । 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे को एक व्यक्ति माना जाएगा।

14- कोई भी माता-पिता/संरक्षक या शिक्षक भी इन सुरक्षा मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए यात्रा कर सकते हैं।

15- बसों में नियमानुसार दो दरवाजे प्रवेश एवं निर्गम के हो तथा आपातकालीन खिड़की लगी हो।

16- स्कूल के बस के चालक का नेत्र परीक्षण तथा इस दृष्टि से स्वास्थ्य परीक्षण कि वह मादक द्रव्यों के सेवन का आदी हो तो नहीं नियमानुसार 06 माह के अंतराल उनका परीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

17- स्कूल परिसर तथा गेट के सामने सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जाए।

18- केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अनुसार बस में वाहन चालक के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति भी हो यदि बस में छात्राएं भी हो तो उस बस में महिला अध्यापक अथवा सहायिका की सुनिश्चित हो।

सेवानिवृत्त हुए 3 अधिकारियों को पुलिस कार्यालय में दी गई भावभीनी विदाई

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस विभाग में सेवा देते अपनी 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे सहायक उपनिरीक्षक मुरलीधर यादव, सउनि ओम प्रकाश पटेल एवं प्रधान आरक्षक लक्ष्मण राम भगत को आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में विदाई दी गई।

पुलिस विभाग की परंपरा अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। आज शाम करीब 4:00 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय के कक्ष में आयोजित विदाई कार्यक्रम में सर्वप्रथम आर.आई. अमरजीत खूंटे ने सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी/कर्मचारियों के जीवन परिचय से सभी को अवगत कराये। पुलिस अधीक्षक समेत सभी अधिकारी/कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित थाना कोतरारोड़ प्रभारी निरीक्षक रूपक शर्मा ने बताया कि सउनि मुरलीधर यादव की पदस्थापना कोतरारोड़ थाने में थी उनका रिटायरमेंट सभी को खलेगा। वे सभी कामों को समर्पित भाव से करते थे। जनता से उनका अच्छा संवाद था इसके लिए वे बहुत याद आएंगे किन्तु हमें खुशी है कि वे अब ज्यादा समय अपने परिवार के लिए साथ बिताएंगे। सहायक उपनिरीक्षक गिरधारी साव ने भी सउनि मुरलीधर यादव, ओम प्रकाश पटेल एवं लक्ष्मण राम भगत के साथ बिताए अपने कार्य अनुभव को साझा किए। वे बताये कि दिनांक 30.06.19 को रिटायमेंट के आखरी दिन भी सभी साथ में सी.एम. महोदय के रायगढ़ प्रवास में एक साथ ड्यूटी कर रहे थे। कार्यक्रम में जब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका कार्य अनुभव साझा करने के लिए बोला गया तो वे सभी भावुक हो गए। मुरलीधर यादव ने बताया कि वे अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं करीब 40 साल की सेवा अवधि में विभाग में बच्चे से बड़े होने तक का सफर काफी अच्छा था। यादव विभाग द्वारा दिये गये सम्मान से भावुक हूं पर खुशी है कि अब बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताउंगा ।

एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा ने अपनी शुभकामनाओं के साथ कर्मचारियों को धन्यवाद दिए की नौकरी के साथ-साथ परिवार के बीच अच्छा सामंजस्य बनाकर अच्छी सेहत के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस विभाग में नौकरी करना मानो नित नये चुनौती अपनाना है, साथ ही हम सभी समाज के लिये काम करते हैं। आपकी लम्बी सेवा अवधि रही है सेवा निवृत्त होकर विभाग से जा रहे हैं किंतु आप हम सभी का समाज में प्रतिनिधि बनकर जाएं और अपने अनुभव लोगों को बताएं कि पुलिस अधिकारी व कर्मचारी विभाग में आपने किस तरह कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर समाज के लिए कार्य करता है। अग्रवाल ने सेवानिवृत्त बाद जब कभी किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो निशंकोच सम्पर्क करने को बोले। कार्यक्रम के अंत में आर.आई. अमरजीत खूंटे द्वारा आभार भाषण दिया गया फिर सभी ने स्वल्पाहार लेकर एक साथ फोटो खींचवाये। कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक बेनेडिक्ट मिंज, नगर कोतवाल एस.एन. सिंह, थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक चमन सिन्हा तथा कार्यालयीन स्टाफ एवं सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी कर्मचारियों के परिवारजन भी उपस्थित थे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐक्ता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM | For Nuresery to 10th

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

Topper Students Last Session

Tarun 90% Yamini 98% Shraddha 93% Priyanka 96% Prerna 84% Hitendra 98% Akanksha 90% Geetanjali 99% Chetna 94% Arpita 93% Arpita 98% Rakesh 97% Sejal 88% Shiva 97%

Sushant 92% Prince 97% Kusum 98% Abhishek 99% Aayush 93% Prachi 97% Tulika 96% Pari 96% Aradhya 97% Ananya 99% Ashish 96% Ankita 99%

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL ENGLISH MEDIUM BEHIND STADIUM STREET RAIGARH C.G. 07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज़ पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480